

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक/एफ-12/32/14/सत्रह/मेडि-3/  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 / 11 / 2014

समस्त संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय:-म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों को उपचार करने की स्वीकृती के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषय में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ-9-02/2014/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 28.10.2014 द्वारा संलग्न सूची अनुसार शासकीय सेवक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार/जांच हेतु नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि दी गई है।

उपरोक्त सूची में उल्लेखित जिन निजी चिकित्सालयों में राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत चिन्हित बीमारीयों के उपचार की सुविधा है, उन चिकित्सालयों को मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत उपचार करने की स्वीकृती दी जाती है।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की चिन्हित बीमारीयों के मरीजों को रिफर करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित निजी चिकित्सालयों को उपरोक्त बीमारी के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त है।


मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृति के दौरान निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे :-

1. पत्र हितग्राहियों को ही चिकित्सा राशि स्वीकृत की जावे एवं योजनान्तर्गत सभी निर्धारित नियमों/प्रावधानों का पालन किया जावे।
2. चिकित्सा संस्था का उपचार प्राक्कलन निर्धारित बीमारी के पैकेज की सीमा का हो। यदि प्राक्कलन पैकेज से अधिक हो तो संबंधित संस्था से उसका स्पष्टीकरण लिया जावे। पैकेज से अधिक राशि की मांग करने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को प्रस्ताव भेजे जावे।
3. प्रत्येक चिकित्सा सहायता राशि की स्वीकृति आदेश में यह उल्लेख किया जावे कि रोगी के उपचार उपरांत चिकित्सा संस्था को सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, शेष राशि एवं रोगी का डिस्चार्ज टिकिट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 15 दिवस में अनिवार्य रूप से भेजे तथा जो रोगी 3 माह तक उपचार कराने नहीं आता है उसकी चौथे माह में राशि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वापस भेजी जावे।

1/2/1/

उक्त निजी चिकित्सालयों द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना से संबंधित शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न:- सूची

  
(डॉ. गनी अहमद खान)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 26/11/2014

पृ.क क्रमांक/एफ-12/32/14/सत्रह/मेडि-2/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
2. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) म.प्र.।
3. समस्त, कलेक्टर मध्यप्रदेश।
4. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

**राज्य के अंदर निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को शासकीय सेवक एवं उनके आश्रित सदस्यों के उपचार/जांच हेतु नवीन मान्यता/मान्यता पुद्धि दी गई संस्थाओं की सूची**

नवीन मान्यता :-

क्रमांक	संस्था का नाम	शर्त	मान्यता दिए जाने की अवधि
1.	भोपाल फ्रेक्चर हास्पिटल, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
2.	एल.बी.एस. अस्पताल, मोतिया तालाब, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
3.	मैट्रो हास्पिटल एण्ड कैंसर रिसर्च सेंटर, दमोह नाका, जबलपुर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
4.	अनंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राइट टाउन, जबलपुर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
5.	बांबे हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, जबलपुर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
6.	सीएचएल हास्पिटल, ए.बी.रोड, एल.आई.जी. चौराहा, इंदौर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
7.	नोबल मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
8.	ग्रेटर कैलाश हास्पिटल, 11/2 ओल्ड पलासिया, इंदौर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
9.	दुबे सर्जिकल एण्ड डेंटल हास्पिटल, घमापुर चौक, जबलपुर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक

(Dr. Ganesh Kumar)

Under Secretary,

Govt. of M.P.

Public Health & Family Welfare Deptt.

Maintraya, Bhopal

		1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	
10.	संजीवन अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, 628 राम नगर, आधारताल, जबलपुर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
11.	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
12.	नर्मदा अपना, होशंगाबाद एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक

मान्यता वृद्धि :-

क्रमांक	संस्था का नाम	मान्यता दिए जाने की शर्त	मान्यता दिए जाने की अवधि
1.	मोहनलाल हरगोविंद दास पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट हास्पिटल, भोपाल 440/1 राइट टाउन, जबलपुर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 12-09-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक

(Dr. Gani Ahmad Khan)

Under Secretary,

Govt. of M.P.

Public Health & Family Welfare Deptt.  
Muzalaya, Bhopal

		जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	
2.	सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय, बैरागढ़ सिविल अस्पताल के पीछे, बैरागढ़ भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 04-01-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
3.	एमआरआई डायग्नोस्टिक सेंटर, 2243 राईट टाउन, जबलपुर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 17-01-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
4.	पाण्डे हारस्पिटल प्रा. लि. 499 ब्योहार बाग, जबलपुर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 12-09-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
5.	सिटी हारस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागरथ चौक, सिविल लाईन, जबलपुर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 12-09-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
6.	रेडक्रास हारस्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, शिवाजी नगर, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 22-02-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
7.	स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाइन सेंटर, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 02-08-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक

(Dr. Gani Ahmed Khan)

Under Secretary,

Govt. of M.P.

Public Health & Family Welfare Deptt.  
Mandla, Bhopal

		दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	
8.	चिरायु मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 12-01-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
9.	पादर हास्पिटल, बैतूल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 31-03-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
10.	बी.आई.एम.आर. हास्पिटल, ग्वालियर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 25-10-2011 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
11.	नवोदय हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 14-01-2011 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
12.	कैसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान, ग्वालियर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 05-02-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
13.	जबलपुर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, रसल क्रॉसिंग, जबलपुर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3,	पूर्व में दिनांक 29-07-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक

(Dr. Gan Ahmad Nigam)

Under Secretary,

Govt. of M.P.

Public Health & Family Welfare Deptt.

Mantralaya, Bhopal

	दिनांक 28-10-2014	पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	वर्ष तक
14.	एल.बी.एस. अस्पताल, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 31-03-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
15.	गोकुलदास अस्पताल, इंदौर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 30-11-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
16.	सीएचएल हॉस्पिटल, इंदौर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 26-11-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
17.	सिनर्जी हॉस्पिटल, स्कीम नं.74, सेक्टर बी, विजयनगर, इंदौर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 22-02-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
18.	मेयो हॉस्पिटल, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 10-02-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक

(Dr. Qani Ahmed Khan)

Under Secretary,

Govt. of M.P.

Public Health & Family Welfare Deptt.  
Mantralaya, Bhopal

19.	भंडारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 20-10-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
20.	सेठ मन्मूलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट रिसर्च सेंटर, दीक्षितपुरा, जबलपुर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 30-07-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
21.	चोईधराम हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, माणिकबाग रोड, इंदौर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 31-03-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
22.	नर्मदा ट्रामा सेंटर, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 31-03-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
23.	सीमांस कोहेफिजा हास्पिटल, बीडीए कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 12-09-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक

(Dr. Gani Ahmed Khan)  
Under Secretary,  
Govt. of M.P.  
Public Health & Family Welfare Deptt.  
Maniraya, Bhopal